E. MAIL

सर्वोच्च प्राथमिकता/फैक्स/समयबद्ध

संख्या : प्र0स0–11/छः–पु–3–2013–519/1998 टी0सी0

प्रेषक,

आर0एम0 श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0।
3–समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस उप महानिरीक्षक।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

गृह (पुलिस) अनुभाग–5 लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2013

विषयः–विस्फोटक पदार्थ(आतिशबाजी सहित) के निर्माण, उसके क्रय–विक्रय एवं अन्तरण आदि पर प्रभावी नियन्त्रण एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में।

महोदय,

उक्त के संबंध में सूच्य है कि दिनांक 05.07.2013 को जनपद–बागपत एवं शाहजहाँपुर उ0प्र0 में आतिशबाजी फैक्ट्री में पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में हुए विस्फोट की घटना के फलस्वरूप 04 लोगों की मृत्यु एवं अनेक घायल हुए हैं। अतः प्रदेश में पटाखों की बिक्री हेतु विस्फोटक पदार्थ/आतिशबाजी व्यवसायियों द्वारा अनुमन्य क्षमता एवं निर्धारित मानकों से अधिक निर्माण, भण्डारण एवं परिवहन की प्रबल संभावनाओं के दृष्टिगत विशेष अभियान चलाकर विस्फोटक अधिनियम–1884 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विस्फोटक पदार्थो के निर्माण/भण्डारण/परिवहन एवं विक्रय करने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के परिसर का निरीक्षण एवं सत्यापन कराने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाना अति आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि विस्फोटक/आतिशबाजी का व्यवसाय एक अत्यन्त संवेदनशील विषय है, जिसके संबंध में जनपद में स्थित विस्फोटकों की दुकानों/लाइसेंसधारकों का निरीक्षण समय–समय पर सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उक्त नियमित निरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंसिंग प्राधिकारी का इस तथ्य से आश्वस्त होना है, कि विस्फोटकों के व्यवसायियों/लाइसेंसधारकों द्वारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप अनुमन्य क्षमता के अनुसार उक्त व्यवसाय का संचालन सुरक्षित रूप से वास्तविक लाइसेंसी/पार्टनर द्वारा ही किया जा रहा है।

3. अतः उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15 जुलाई, 2013 से 30 जुलाई, 2013 के मध्य एक विशेष अभियान चलाकर विस्फोटक अधिनियम–1884 के सुसंगत

प्राविधानों के अन्तर्गत विस्फोटक पदार्थो के निर्माण/भण्डारण/विक्रय करने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के परिसर का निरीक्षण एवं सत्यापन कराने की कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराई जाये।

4. उक्त लाइसेंसों/प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के समय निम्नलिखित बिन्दुओं को समाहित किया जाना है:-

(1)-विस्फोटक पदार्थ (आतिशबाजी सहित) का भण्डारण आबादी के मध्य में है या आबादी से हटकर। यदि आबादी के मध्य में है, तो उसे वहॉ से अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में तत्काल समुचित कार्यवाही की जाय तथा कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(2)-विस्फोटक पदार्थ (आतिशबाजी सहित) के निर्माण/भण्डारण की जितनी मात्रा लाइसेंस पर अंकित है, उसी के अनुसार ही निर्माण/भण्डारण की कार्यबाही किये जाने की सूक्ष्मता से जॉच की जाय।

(3)-अग्निशमन विभाग द्वारा व्यवसायिक स्थल की समुचित सहमति प्राप्त होने तथा अग्निशमन विभाग द्वारा विस्फोट अथवा आगजनी रोकने हेतु किये गये सुरक्षा उपायों का अनुज्ञापी द्वारा पालन किये जाने के संबंध में गहनतापूर्वक जॉच की जाय।

(4)-लाइसेंसधारकों/प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्यवाही की अनुसंशा सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जाने की स्थिति में तत्काल निरोधात्मक आदेशों का पालन संबंधित थाने/पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाय।

(5)-विस्फोटक पदार्थ (आतिशबाजी सहित) का निर्माण/भण्डारण किसी सार्वजनिक स्थल/स्कूल/कालेज/मार्केट/धार्मिक स्थल के निकट तो नहीं है? यदि ऐसे स्थल के समीप है, तो वहॉ से विस्फोटक पदार्थ (आतिशबाजी सहित) का निर्माण/भण्डारण सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में समुचित कार्यवाही की जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाय।

(6)-विस्फोटक पदार्थ/आतिशबाजी का अवैध निर्माण/भण्डारण/विक्रय में संलिप्त पाये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों के विरूद्ध यथोचित/विधिक कार्यवाही करते हुये विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा-9 बी व 9 सी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा-3, 4 व 5 तथा भा0दं0वि की धारा 107, 108, 120ए, 120बी एवं 336 के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाय।

5. उक्त के अतिरिक्त विनिर्मित विस्फोटक पदार्थ/आतिशबाजी के सड़क मार्ग तथा रेल द्वारा परिवहन पर भी कड़ाई से निर्धारित मानकों एवं विद्यमान नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराया

जाना अत्यावश्यक है। इस हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा समन्वय स्थापित करके टीम गठित की जाय तथा दिनांक 15 जुलाई, 2013 से 07 अगस्त, 2013 तक सड़क मार्गो, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं स्थानीय परिवहन के ठिकानों पर व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया जाय। अनुमन्य क्षमता एवं निर्धारित मानकों से अधिक विस्फोटक/आतिशबाजी पाये जाने पर तत्काल नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही कर अविलम्ब लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अवगत कराया जाय।

6– तद्क्रम में दिनांक 15 जुलाई 2013 से 30 सितम्बर 2013 के मध्य प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा संचालित अभियान के तहत तथा दिनांक 15 जुलाई 2013 से 30 सितम्बर 2013 तक परिवहन एवं जी0आर0पी0 द्वारा संचालित अभियान के तहत कृत कार्यवाही की रिपोर्ट/आख्या संलग्न प्रोफार्मा पर जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र कार्यालय, लखनऊ को दिनांक 11.10.2013 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, जो संकलित सूचना शासन को दिनांक 20.10.2013 तक उपलब्ध करायेगें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(आर0 एम0 श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या (1)व दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, टेढ़ी कोठी, एम0जी0 मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपने स्तर से तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. परिवहन आयुक्त,उत्तर प्रदेश, टीहरी कोठी, एम0जी0 मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपने स्तर से तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन विभाग, उ0प्र0।
6. पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 कार्यालय, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया समस्त जिला मजिस्ट्रेटों से वांछित सूचना प्राप्त कर संकलित सूचना निर्धारित समयावधि में सचिव, गृह को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन(पूर्ववर्ती विस्फोटक विभाग), मध्यांचल आगरा।

8. गार्ड फाईल।

प्रेमनारायण
5/7/13

आज्ञा से,

(ए० पी० तिवारी)
अनु सचिव।

विस्फोटक पदार्थो/आतिशबाजी के लाइसेंसधाराकों के संबंध में जॉच

जनपद.....................निरीक्षण की तिथि....................

क्रम संख्या	जॉच/निरीक्षण किये जाने संबंधी बिन्दु	जॉच/निरीक्षण का विवरण
1	लाइसेंस धारक एवं दुकान का नाम	
2	विस्फोटक/आतिशबाजी के निर्माण एवं भण्डारण का पता एवं फोन नं0	
3	लाइसेंस पर दर्ज पार्टनरों के नाम पते	
4	लाइसेंस की संख्या/स्वीकृति का दिनांक/अद्यावधिक नवीनीकरण की स्थिति	
5	विस्फोटक/आतिशबाजी के निर्माण एवं भण्डारण पर लाइसेंसी/पार्टनर के अतिरिक्त व्यवसाय में कार्यरत पाये गये अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण	
6	विस्फोटक/आतिशबाजी का निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय लाइसेंस पर अंकित व्यवसायिक स्थल पर ही किया जा रहा है अथवा नहीं	
7	विस्फोटक/आतिशबाजी का निर्माण एवं भण्डारण लाइसेंस पर अंकित क्षमता के अन्तर्गत ही किया जा रहा है अथवा नहीं	
8	विस्फोटक/आतिशबाजी के निर्माण एवं भण्डारण तथा विक्रय का स्थल चोरी, आगजनी तथा विद्युत दुर्घटना की दृष्टि से सुरक्षित है अथवा नहीं	
9	लाइसेंसी को विस्फोटक सामग्री के लिये स्वीकृत कोटे की मात्रा व कोटे के सापेक्ष निर्माण का विवरण	
10	लाइसेंसी द्वारा निर्गत स्टॉक का विवरण	
11	लाइसेंसी के पास अवशेष स्टॉक का विवरण	
12	लाइसेंस धारक के विरूद्ध कोई कार्यवाही पूर्व से लम्बित/विचाराधीन हो तो उसका पूर्ण विवरण।	
13	क्या स्टॉक एवं विक्रय रजिस्टर अद्यावधिक है और उसके प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर सक्षम अधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षरित है अथवा नहीं	
14	क्या स्टॉक/ विक्रय रजिस्टर एवं निरीक्षण/जॉच में पाये गये स्टॉक आदि में कोई भिन्नता तो नहीं है अथवा अन्य कोई अनियमितता तो नहीं पायी गयी है, यदि हॉ तो उसका विस्तृत विवरण	
15	सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस निरस्त/निलम्बित अथवा अन्य निरोधात्क कार्यवाही किये जाने की स्थिति में पुलिस विभाग द्वारा की कार्यवाही की सूचना लाइसेंसिग प्राधिकारी को उपलब्ध कराये जाने का दिनांक सहित विवरण	
16	अन्य कोई विशेष उल्लेखनीय तथ्य या आपत्ति जो निरीक्षण/जॉच के दौरान प्रकाश में आयी हों	
17	जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंसिग प्राधिकारी की अभ्युक्ति	